संख्या:17एम(4)/35-आ0-1/2009-12

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

राज्य योजना आयोग-1
नियोजन विभाग

लखनऊ:दिनाँक:नवम्बर 10, 2014

विषय: उ0प्र0 राज्य में आधार प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन।

महोदय,

यूनीक आईडेन्टीफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया की स्थापना देश के समस्त निवासियों को यूनीक आईडेन्टीफिकेशन नम्बर उपलब्ध कराने के लिये की गयी है। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा आधार प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप राज्य योजना आयोग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: संख्या:17एम(4)/35-आ0-1/2009-12, दिनाँक:मार्च 04, 2014 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त को उनके कार्यक्षेत्र के लिये रजिस्ट्रार तथा समस्त जिलाधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के लिये संयुक्त रजिस्ट्रार नामित किया गया है।

प्रदेश में आधार प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

1- विकेन्द्रित व्यवस्था के अन्तर्गत आधार प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु मण्डल स्तर पर एनरोलमेन्ट एजेन्सीज़ के चयन आदि का कार्य मण्डलायुक्त जो उक्त परियोजना हेतु रजिस्ट्रार नामित है, द्वारा किया जायेगा।

2- नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये Request for Quotation (RFQ) का विज्ञापन मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त (रजिस्ट्रार) द्वारा किया जायेगा।

3- Request for Quotation (RFQ) में बिडिंग प्राप्त करने के लिये Schedulewise (Districtwise) प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। अत: बिड्स जनपदवार होगीं और रजिस्ट्रार स्तर पर प्राप्त की जायेंगी जिन पर निर्णय मण्डलायुक्त (रजिस्ट्रार) की अध्यक्षता में गठित RFQ Evaluation Committee द्वारा लिया जायेगा।

....2

4- एनरोलमेन्ट एजेन्सीज़ के चयन हेतु यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप Empanelled List का ही उपयोग किया जायेगा।

5- आधार योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित की जाने वाली समय-सारणी पृथक से उपलब्ध करायी जायेगी जिसका अनुपालन किया जायेगा।

6- शासन स्तर पर उ0प्र0 के विकास का एजेण्डा वर्ष 2014-15 का सूत्र संख्या-231 ''आधार परियोजना से सम्बन्धित कार्य का प्रभावी अनुश्रवण'' से सम्बन्धित है। जिलाधिकारी (संयुक्त रजिस्ट्रार) द्वारा संलग्न प्रारूप पर नियमित रूप से माह के प्रथम सप्ताह में सूचना देना अनिवार्य होगा।

7- मण्डलायुक्त (रजिस्ट्रार) द्वारा सूचना विभाग के माध्यम से Request for Quotation का विज्ञापन हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में राष्ट्रीय स्तर के न्यूनतम दो-दो समाचार-पत्रों में और एक राज्य व मण्डल स्तर के न्यूनतम दो-दो प्रमुख समाचार-पत्रों में कराया जायेगा। साथ ही साथ समस्त विज्ञप्ति राज्य सरकार, यू0आई0डी0ए0आई0, रजिस्ट्रार व संयुक्त रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।

8- एनरोलमेन्ट एजेन्सीज़ के चयन के लिये प्राप्त बिड्स को अन्तिम करने की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी और समस्त विद्यमान नियमों यथा-वित्तीय नियमों, सी0वी0सी0 के निर्देशों, जी0एफ0आर0 आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त Request for Quotation के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- राज्य योजना आयोग-1 के पत्रांक:17एम(4)/35-आ0-1/2009-12, दिनाँक:मार्च 31, 2014 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त व जिलाधिकारियों को आधार परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये गये थे जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इन दिशा-निर्देशों के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:-

(i) मण्डल/जनपद के अन्तर्गत ऐसे सभी निवासी जिनका अभी तक आधार/एन0पी0आर0 के अन्तर्गत नामांकन नहीं किया गया है, उन सभी का नामांकन किया जाना है। यू0आई0डी0ए0आई0 के अन्तर्गत सभी आयु के निवासियों का नामांकन किया जाना है। इस हेतु यह विशेष ध्यान रखा जाना होगा कि अल्प सुविधा प्राप्त (Under privileged) निवासियों के नामांकन हेतु विशेष प्रयास किये जायें।

....3

नियोजन विभाग एवं यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को सूचित करने का कष्ट करें।

11- यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा प्रत्येक सफल आधार नामांकन पर धनराशि रजिस्ट्रार को उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु बैंक में खाता खोलकर इसकी सूचना नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, टी0सी0/46-V, तृतीय तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त खाता मण्डलायुक्त तथा मण्डलीय नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा।

12- आधार परियोजना के प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार तथा यू0आई0डी0ए0आई0 के सहयोग से विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण/कार्यशालायें आयोजित की जायेगीं। मण्डलायुक्त (रजिस्ट्रार)/ जिलाधिकारी (संयुक्त रजिस्ट्रार) द्वारा इन कार्यक्रमों में सम्बन्धित अधिकारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

13- आधार परियोजना के क्रियान्वयन के लिए रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा नियमित रूप से तहसील दिवस/योजनाओं के विशिष्ट शिविरों/मेला/नुमाइश/महोत्सव आदि में परियोजना के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि आधार नामांकन पूर्णतः निःशुल्क होगा।

14- एनरोलमेन्ट एजेन्सीज़ की चयन प्रक्रिया के अन्तिमीकरण हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में निम्नानुसार आर0एफ0क्यू0 मूल्यांकन समिति गठित की जाये:-

मण्डलायुक्त	::	अध्यक्ष
मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के जिलाधिकारीगण	::	सदस्य
संयुक्त विकास आयुक्त	::	सदस्य
अपर निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें	::	सदस्य
उप निदेशक (मण्डलीय), अर्थ एवं संख्या	::	सदस्य-सचिव
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC)	::	सदस्य

समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:-

(क) बिड्स प्राप्त करने हेतु Request for Quotation विज्ञापित करना।

(ख) बिड्स को प्राप्त कर उनका मूल्यांकन करना।

(ग) बिड्स का अन्तिमीकरण कर एनरोलमेन्ट एजेन्सीज़ का चयन।

(घ) चयनित एनरोलमेन्ट एजेन्सीज तथा रजिस्ट्रार (मण्डलायुक्त) के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना।

....5

(ii) निवासियों को नामांकन हेतु यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा निर्धारित पहचान/पता प्रपत्र उपलब्ध कराने होंगे।

(iii) नामांकन केन्द्रों में इस प्रकार से व्यवस्था सुनिश्चित की जाये कि उपलब्ध मशीनों पर प्रतिदिन सम्भावित नामांकनों की संख्या के आधार पर ही निवासी आयें, जिससे निवासियों को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा न करनी पड़े।

(iv) नामांकन केन्द्रों में प्रभावी रूप से प्रचार-प्रसार (आई0ई0सी0) की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये जिससे कि निवासियों को इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके।

(v) नामांकन केन्द्र सार्वजनिक स्थल जैसे-स्कूल, पंचायत भवन एवं अन्य सरकारी भवनों में ही लगवाये जायें।

(vi) एनरोलमेन्ट एजेन्सियों को आधार जनरेशन के आधार पर निर्धारित दर पर भुगतान किया जायेगा।

(vii) राज्य सरकार के अतिरिक्त नॉन-स्टेट रजिस्ट्रार जैसे एन0एस0डी0एल0, बैंक इत्यादि द्वारा भी नामांकन किया जायेगा, अत: एनरोलमेन्ट के कार्य प्रारम्भ करने के उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाये कि इन सभी एजेन्सियों (स्टेट एवं नॉन स्टेट रजिस्ट्रार) के मध्य क्षेत्र का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि कार्य में दोहरापन न हो एवं सभी क्षेत्रों के निवासियों को नामांकन की सुविधा उपलब्ध हो सके।

(viii) निवासियों के आधार नामांकन हेतु डेटा पैकेट यू0आई0 डी0ए0आई0 के पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। इसके लिये सुनिश्चित किया जाये कि एनरोलमेन्ट एजेन्सी द्वारा यू0आई0डी0ए0आई0 की निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नामांकन पैकेट यू0आई0डी0ए0आई0 के पोर्टल पर अपलोड कर दिये जायें।

(ix) निवासियों द्वारा नामांकन हेतु प्रस्तुत किये गये दस्तावेज यू0आई0डी0 ए0आई0 द्वारा नियुक्त Document Management System एजेन्सी को उपलब्ध कराने है। अत: समय से सुनिश्चित किया जाये कि यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित एनरोलमेन्ट एजेन्सी द्वारा Document Management System एजेन्सी को दस्तावेज उपलब्ध करा दिये जायें।

10- उपरोक्त कार्यो को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने हेतु अपने-अपने मण्डल तथा अपने-अपने जनपद में एक नोडल अधिकारी को नामित कर

...4

(ङ) चयनित एनरोलमेन्ट एजेन्सीज को कार्यादेश प्रदान करना।

(च) आधार परियोजना के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण/समीक्षा करना।

(छ) अन्य सम्बन्धित कार्य।

15- आधार परियोजना के कार्य के अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार जिला अनुश्रवण समिति गठित की जाये:-

जिलाधिकारी	::	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	::	सदस्य
मुख्य चिकित्साधिकारी	::	सदस्य
समस्त उप जिलाधिकारी	::	सदस्य
जिला सूचना अधिकारी	::	सदस्य
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC)	::	सदस्य
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	::	सदस्य-सचिव
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	::	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	::	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	::	सदस्य
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	::	सदस्य
महिला एवं बाल विकास अधिकारी	::	सदस्य

उपरोक्त के अतिरिक्त समिति आवश्यकतानुसार किसी जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी को बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित कर सकेगी।

समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:-

(क) आधार परियोजना के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण/समीक्षा करना।

(ख) अन्य सम्बन्धित कार्य।

16- भविष्य में आधार परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों की स्थिति में आवश्यक निर्देश समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या:17एम(4)/35-आ0-1/2009-12, तद् दिनाँक:

उक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।

2- महानिदेशक एवं मिशन निदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, नई दिल्ली।

....6

3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- राज्य यू0आई0डी0 कार्यान्वयन समिति के समस्त सदस्य/सदस्य सचिव।
5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7- RFQ Evaluation Committee के समस्त सदस्य/सदस्य सचिव
8- जिला अनुश्रवण समिति के समस्त सदस्य/सदस्य सचिव
9- उपमहानिदेशक, यूनीक आईडेन्टीफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

प्रारूप

उत्तर प्रदेश के विकास एजेण्डा वर्ष 2014–15 का सूत्र संख्या–231 आधार परियोजना से सम्बन्धित कार्य का प्रभावी अनुश्रवण का मासिक प्रगति विवरण

माह :

कमांक	जनपद का नाम	विज्ञापन जारी करने की तिथि	निविदा प्राप्त होने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि	निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि	चयनित एजेन्सी को एल.ओ.आई. भेजने की तिथि	कार्य योजना अन्तिम होने की तिथि	कार्यादेश जारी होने की तिथि	चयनित एजेन्सी का नाम	सम्भावित आधार नामांकन का लक्ष्य	माह की प्रगति (संख्या)	माह तक की प्रगति (संख्या)	प्रगति का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14